B- 3 & 4
L - 48
Polity

(i) लेकिन न्यायाधीशों के नियुक्ति के सन्दर्भ में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव उत्पन्न हुआ क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायधीशों की नियुक्ति में अथवा न्यायाधीशों की सलाह। इस पर मतभेद उत्पन्न हुआ।

(ii) मुददा यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या न्यायाधीशों की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।

विवाद → न्यायपालिका / कार्यपालिका

उच्चतम न्यायालय ⇓ तदर्थ न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ⇓ अतिरिक्त न्यायाधीश

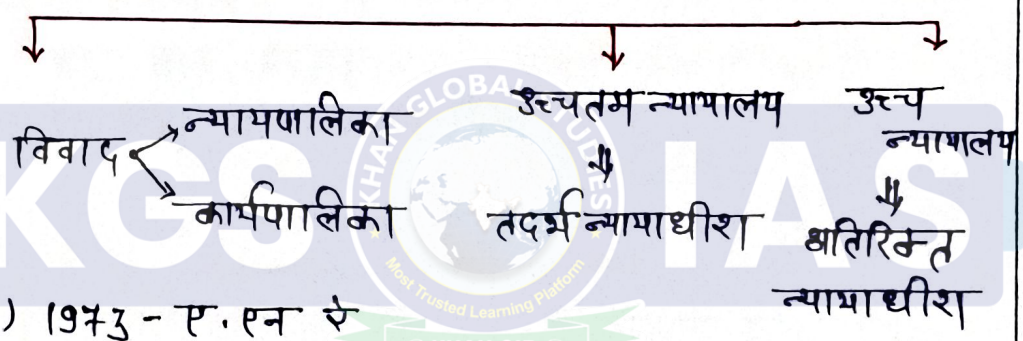

(A) 1973 - ए. एन रे (चीफ जास्टिस)

(B) 1976 - हमीदुल्लाह बेग

(1982)
1st जज केस / S.P गुप्ता केस
- कार्यपालिका
- राष्ट्रपति

↓ Advocate on Record
(1993) न्यायपालिका की प्राथमिकता
कोलेजियम - (न्यायाधीशों का समूह)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

↓

(1998)

(i) कोलेजियम को स्पष्ट

(ii) संख्या

(iii) कार्य

↓

99th संविधान संशोधन

(i) NJAC

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
- उच्चतम न्यायालय ने NJAC को रद्द कर दिया (असंवैधानिक घोषित कर दिया

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

कोलेजियम

- उच्चतम न्यायालय ↓ (1+4)
- उच्च न्यायालय ↓ (1+2)
- उच्च न्यायालय के न्यायधीश के स्थानांतरण के लिए कोलेजियम (1+4) + उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश

NJAC

(1) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(2) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

(3) विधि मंत्री

4. मनोनीत सदस्य

कार्य- अनुच्छेद- 124 (B)

(i) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

(ii) उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

(iii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

(iv) स्थानांतरण

अनुच्छेद 124(C)

NJAC की कार्य प्रणाली के संबंध में संसद विधि का निर्माण करेगी।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

कोलेजियम के पक्ष में तर्क :-

- न्यायालय सरकार का सबसे संवेदनशील अंग है और न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक विषय नही है अपितु न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
- भारत में एक बहु प्रचलित भ्रम फैलाया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल न्यायधीश करते हैं, वास्तविकता यह है कि कोलेजियम अपनी रिपोर्ट विधि मंत्रालय, न्याय

मंत्रालय, गृहमंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए संप्रेषित करती है जिन्हे कोलेजियम की अनुशंसा पर पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त है।

- यह भी मिथ्या धारणा है कि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का नियंत्रण नही है और यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है वास्तविक मुद्दा यह है कि न्यायपालिका में -
"छोटी बेंच के निर्णय को बड़ी बेंच बदल देती है और बार काउंसिल ऑफ इण्डिया न्यायपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखती है।

कोलेजियम की आलोचना :-

- भारत विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां न्यायधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहें हैं।
- कोलेजियम की कार्यप्रणाली लिखित नही होती है इसीलिए यह पता नही चल पाता कि किस उम्मीदवार का चयन किस आधार पर किया गया है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक कार्य है जिसके लिए 5 न्यायधीश पर्याप्त नही हैं और न्यायधीशों के द्वारा होने वाली नियुक्ति में सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व नही हो पाता।

निष्कर्ष :-

→ न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के कार्यकरण का आधार बिन्दु है और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न रही तो विधि का शासन, संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा।

आवश्यकता कोलेजियम में सुधार करने की है जिससे न्यायिक नियुक्तियों और पारदर्शी हो जाए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता :-

- उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर बल दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका निम्नलिखित आधार बनाती है :-

(i) न्यायधीश वरिष्ठ होना चाहिए।

(ii) न्यायपालिका न्यायाधीशों की कुशलता को आसानी से परख लेती है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय अपील के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आते हैं।

(iii) न्यायधीशों की वरिष्ठता एवं कुशलता के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उसके निर्णय स्वतंत्र हैं।

(iv) इससे भी महत्वपूर्ण न्यायधीश का क्षेत्रीय एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि न्याय होना ही आवश्यक नहीं है न्याय दिखना भी चाहिए। इसीलिए उच्चतम न्यायालय का यह प्रयास होता है कि उच्च न्यायालय का 1 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में अवश्य हो।

उच्चतम न्यायालय की भूमिका

- संविधान का संरक्षक
- मूल अधिकारों का रक्षक रिट अधिकारिता
- संघीय विवादों का समाधान → आरंभिक अधिकारिता
- सलाहकारी शक्ति अभिनिर्धारण
- अपील का सर्वोच्च न्यायालय
- (ii) विशेष इजाजत से अपील

उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में :-

- भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और भारतीय संविधान में एक नाजुक और विशेष संतुलन विद्यमान है क्योंकि :-

(i) संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है (अनुच्छेद- 368)।

(ii) जबकि उच्चतम न्यायालय को संविधान की रक्षा का दायित्व दिया गया है।

संसद अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संविधान में बार-बार संशोधन का प्रयास करती है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को खारिज कर दिया। (केशवानंद भारती वाद) न्यायालय ने यह भी कहा कि 9वीं अनुसूची का प्रयोग करके भी आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की अवहेलना नहीं हो सकती। (आई. आर कोलिहो वाद)

क्योंकि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है लेकिन:-

(i) संसद की शक्ति सीमित है।

(ii) संसद संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन नया संविधान नहीं लिख सकती।

(iii) संविधान संशोधन और उसके पूर्ण परिवर्तन में अंतर है।

(iv) संसद में बहुमत का आशय यह नहीं है कि संविधान सभा बन गयी है।

आधार भूत ढाँचे के माध्यम से न्यायपालिका अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-